उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

IS 15700:2018

(U.P. Housing and Development Board)

कार्यालय वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

नीलगिरी काम्पलैक्स, व्दितीय तल, इन्दिरा नगर,लखनऊ, 226016

संख्या 283 /सी०ए०पी०/202 दिनांक-21/01/26

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद की योजनाओं में सामुदायिक केन्द्र में उपविधि 2025 के प्रस्तर 15.3 के अनुसार अन्य गतिविधि / क्रियाएँ अनुमन्य किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव को परिषद की 274 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26-12-2025 के मद संख्या 274/61 में सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया। जिसके अनुक्रम में शासनादेश संख्या-2438/9-आ-3-98-60 एल. यू.सी./98 दिनांक-13.10.1998 के अन्तर्गत धारा-13 की कार्यवाही किये जाने हेतु परिषद की शास्त्रीनगर योजना संख्या-7 के सेक्टर-7 में स्थित सामुदायिक केन्द्र (क्षेत्रफल 3323.23 वर्ग मी०) में सामुदायिक सह व्यवसायिक गतिविधि / क्रियाएं अनुमन्य किये जाने हेतु जन-सामान्य से आपतियाँ / सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

आपत्तियाँ / सुझाव सूचना के प्रकाशन तिथि से 15 दिनों के अवधि में किसी भी कार्यदिवस में अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत एवं मुख्य वास्तुविद नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग, लखनऊ, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, व्दितीय तल, नीलगिरी कॉम्पलेक्स, इंदिरा नगर, लखनऊ व ई-मेल cap@upavp.com को लिखित आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

आवास आयुक्त